परिपत्र सं0–डीजी–14/2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई0पी0एस0

**पुलिस महानिदेशक,**
**उत्तर प्रदेश**
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
फोन नं0–0522–2206104, फैक्स नं0 2206120
सीयूजी नं0–9454400101
ई–मेल–dgpolice@sify.com, police@up.nic.in
वेबसाइट–https://uppolice.gov.in

दिनांकःलखनऊःमार्च 06, 2014

प्रिय महोदय,

इस मुख्यालय द्वारा प्रेस ब्रीफिंग के संबंध में जारी पूर्व परिपत्रों/आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैंः–

मीडिया और पुलिस के बीच अच्छे सम्बन्ध से पुलिस द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्यो तथा विवेचनात्मक कार्यो को मीडिया अच्छी तरह से प्रचारित/प्रसारित करता है। जब भी कोई अपराध घटित होता है तो मीडिया का उपयोग घटना की सही स्थिति को बताने, पुलिस द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास को बताने, अनावश्यक व्याप्त भय को कम करने और जनता को अपराध नियंत्रण हेतु संदेश भेजने के लिए तथा उन्हें किसी भी आतंकवादी गतिविधियों से सतर्क करने के लिए किया जाना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रेस वार्ता, पुलिस और मीडिया के बीच संचार सेतु का एक महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम है । परन्तु मीडिया के माध्यम से जनता को सूचना देते समय समुचित सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वसनीय और उपयुक्त सूचनाएं जो कि व्यवसायिक रूप से जरूरी हैं तथा जो हमारी विवेचनात्मक अथवा अभियुक्त/पीड़ित के निजता अथवा वैधानिक अधिकार और सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व के प्रकरणों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

मीडिया के साथ संवाद के समय निम्नलिखित दिशा निर्देशो को ध्यान में रखना चाहिए–

प्रेस ब्रीफिंग के संबंध में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय, लखनऊ स्थित अन्य इकाईयों एवं जनपदीय स्तर पर निम्न अधिकारी अधिकृत किये जाते हैं :–

(i) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0।

(ii) अन्य इकाईयों के विभागाध्यक्ष द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी ।

(iii) जनपदीय स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी।

- केवल अधिकृत अधिकारी द्वारा ही मीडिया को महत्वपूर्ण अपराधों, कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों, पुलिस द्वारा किये गये महत्वपूर्ण घटनाओं का अनावरण, बरामदगी और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं दी जानी चाहिए।

- पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी ब्रीफिंग आवश्यक तथ्यों तक ही सीमित रखना चाहिए और प्रचलित विवेचनाओं के सम्बन्ध में अधूरी, अनुमानित या अपुष्ट सूचनाओं के साथ प्रेस में नहीं जाना चाहिए। पुलिस की ब्रीफिंग सामान्यतः निम्न स्थितियों पर की जानी चाहिए–
(अ) अपराध के पंजीकरण
(ब) अभियुक्तों की गिरफ्तारी

(स) केस में आरोप पत्र प्रेषित करने पर
(द) अपराध का अन्तिम परिणाम जैसे सजा या दोषमुक्ति

ऐसे प्रकरणों में जिसमें मीडिया की रूचि सन्निहित हो, प्रतिदिन एक निश्चित समय ब्रीफिंग हेतु तय किया जाना चाहिए जिसमें अधिकृत अधिकारी विवेचना के बारे में समुचित वक्तव्य देगा ।

- सामान्तयः घटना के 48 घंटो के भीतर प्र0सु0रि0 के तथ्यों और घटना की विवेचना ग्रहण कर ली गयी है, टीमों का गठन कर लिया गया है, के अलावा कोई अनावश्यक जानकारी मीडिया को नहीं देना चाहिए।

- प्रतिदिन नियमित रूप से घटना की प्रगति व विवेचना की भिन्न दिशाओं के सम्बन्ध में टुकड़ों में सूचना/ सुराग देने की सामान्य प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि विवेचना से कोई समझौता न हो और अभियुक्त/संदेही पुलिस द्वारा विवेचना की सम्भावित दिशा के सम्बन्ध में दी गयी सूचना का अनुचित लाभ न उठा सके।

- अवयस्क और बलात्कार पीड़िता की पहचान को गोपनीय बनाये रखने के सम्बन्ध में जो वैधानिक प्रावधान व मा0 न्यायालयों के दिशा निर्देश हैं उनका सावधानी पूर्वक पालन किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अवयस्क बलात्कार, पीड़िता की पहचान को मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं किया जाना चहिए।

- अभियुक्तों एवं पीड़िता के वैधानिक, निजता एवं मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी रखी जानी चाहिए।
  (अ) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को मीडिया के सामने प्रस्तुत करने से बचना चाहिए।
  (ब) ऐसे अभियुक्तों जिनकी कार्यवाही शिनाख्त कराई जानी है, के चेहरे को मीडिया के समक्ष सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

- मीडिया को ब्रीफ करते समय पुलिस द्वारा कोई भी सुझावात्मक एवं निर्णायात्मक वक्तव्य नहीं देना चाहिए।

- जहां तक सम्भव हो अभियुक्त एवं पीड़िता का साक्षात्कार मीडिया को तब तक नहीं कराना चाहिए जब तक पुलिस द्वारा अभिकथन रिकार्ड न कर लिया गया हो।

- आपराधिक घटनाओं के अनावरण में पुलिसिंग के व्यावसायिक तौर–तरीकों एवं तकनीकी साधनों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे आपराधिक तत्व सतर्क हो जाते हैं और अपने आगामी योजनाओं में इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानी बरत सकते हैं।

- ऐसे प्रकरण जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर हो तो मीडिया को कोई भी सूचना तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि पूरा आपरेशन समाप्त न हो जाये या सभी अभियुक्त पकड़ न लिये गये हों।

- आपरेशन की कार्य प्रणाली की सूचना सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। आपरेशन की समाप्ति पर पकड़े गये अभियुक्तों एवं की गई बरामदगी की सूचना ही मीडिया को दी जानी चाहिए।

- इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के दिशा निर्देशों और अन्य दिशा निर्देश जो समय–समय पर अधिकारियों द्वारा दिये गये है, का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

- सामान्तयः इस कार्य के लिए अधिकृत रूप में एक जनसम्पर्क अधिकारी होना चाहिए जो मीडिया के लोगों को तात्कालिक सूचनाएं आवश्यक होती है उनको हैन्डेल करे और किसी घटना की स्थिति के सम्बन्ध में सही एवं तथ्यात्मक स्थिति की ही जानकारी दें।

- जब भी तथ्यों अथवा घटना के विवरण के सम्बन्ध में भ्रामक रिपोर्टिंग या असत्य रिपोर्टिंग की कोई घटना होती है, या विभाग के जानकारी में आती है तो तत्काल एक समुचित रिज्वाइंडर जारी किया जाना चाहिए और गम्भीर घटनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों के समुचित स्तर पर सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

- प्रेस विज्ञप्ति को यथा सम्भव जनपदीय प्रभारी द्वारा जारी करने के पूर्व अवलोकित किया जाना चाहिए ।

- मीडिया को दिये जाने वाली विज्ञप्ति की soft copy को कम्प्यूटर पर केस के समाप्ति तक सुरक्षित रखा जाये ।

उपरोक्त दिशा निर्देशों को यदि कोई भी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी पालन नही करता है, तो इसें गम्भीरता से लिया जायेगा और सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

भवदीय,

06/08/14

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1– समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2– समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3– समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।